राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामगोपाल बनाम नैनूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	450/2022	
03/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 06/02/2026 को पेश हो।	
06/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 12/02/2026 को पेश हो।	
12/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम सुमेल तहसील व जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 725/201 रकबा 0.3279 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 737/213 रकबा 0.3161 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.6440 हैक्टेयर में वादीगण का हिस्सा 1/2-1/2 शामिल दर्ज है। जिसके वो तन्हा खातेदार काश्तकार हैं। वादअधीन भूमि के उत्तर की साईड प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 की भूमि खसरा नम्बर 738/213, 726/201 एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता 724/201 गै.मु. रास्ता स्थित है, एवं रास्ते से लगती हुई अन्य भूमि खसरा नम्बर 723/1 है एवं वादी की भूमि के दक्षिण में खसरा नम्बर 223, 199 है जो जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 214 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 18 है। वादी ने अपने वाद में आगे कथन किया है कि वादअधीन भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य सीमा विवाह है प्रतिवादीगण बिना भूमि की नाप जोख कर प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्ठा कर रहे है। इस बाबत वादी द्वारा उक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी भूमि में दखलअन्दाजी नही करने हेतु प्रतिबन्धित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 07/06/2022 पारित करते हुये वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर तहसीलदार जयपुर को निर्देशित प्रदान किये गये कि पूर्व में किये गये सीमाज्ञान व चिन्हीकरण दिनांक 15/11/2019 के मध्यनजर भू-प्रबंध विभाग की टीम से सहयोग लेते हुये ई.डी.एम मशीन के माध्यम से उभयपक्षों को सूचना देकर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

उभयपक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर अनुतोष चाहा गया है, विधिसम्मत जाहिर नही होता है | इसके अतिरिक्त प्रकरण के गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व् डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को विवेचित कर पक्षकारान के मध्य विवादों की समाप्ति के मध्यनजर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना जाहिर होता है, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नहीं होती है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/06/2022 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 12/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर